

## प्रेस नोट 20-05-2021

1. दिनांक 17.09.2020 को वादी परमेश्वर कनौजिया नि० टिकरा सामद थाना औरास जनपद उन्नाव ने तहरीरी सूचना दी कि उसका लड़का धर्मेन्द्र उम्र करीब 22 वर्ष जो दिनांक 19.08.2020 को घर से निकला था तथा उसकी लाश सकरैला नाले में दिनांक 20.08.2020 को पायी गई थी। वादी ने यह भी अंकित किया कि मेरे लड़के की हत्या 1. संजीत 2. रंजीत पुत्र गण विजय 3. राहुल पुत्र ओमप्रकाश 4. लक्ष्मण पु० सुन्दर पासी सर्वनिवासी गण ग्राम टिकरा सामद ने की है। वादी की तहरीर पर थाना औरास पर मु०अ०सं० 140/20 धारा 302/201/34 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया। मृतक धर्मेन्द्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के कोई चोट नहीं पायी गई तथा विसरा सुरक्षित किया गया, जिसका परीक्षण कराया गया तो मृतक की मृत्यु जहर पिलाने से होना पायी गयी। विवेचना में प्रकाश में आया कि मृतक धर्मेन्द्र का प्रेम प्रसंग अभियुक्त लक्ष्मण की लड़की से था तथा इसी लड़की से अभियुक्त राहुल का प्रेम प्रसंग चल रहा था। योजना के तहत धर्मेन्द्र को लक्ष्मण ने बुलवाया और मछली बनवाई इसके बाद बाग में शराब पी। मृतक धर्मेन्द्र के गिलास में योजना के तहत राहुल ने जहर मिला दिया और जिससे धर्मेन्द्र अचेत हो गया। चारों अभियुक्तों ने धर्मेन्द्र को उठाकर सकरैला नाले में फेंक दिया। दिनांक 20.05.2021 को प्र०नि० हरिप्रसाद अहिरवार मय हमारह फोर्स द्वारा अभियुक्तगण 1. संजीत 2. रंजीत पुत्र गण विजय 3. राहुल पुत्र ओमप्रकाश 4. लक्ष्मण पुत्र सुन्दर पासी सर्वनिवासी गण ग्राम टिकरा सामद थाना औरास जनपद उन्नाव को मड़ैचा तिराहा से गिरफ्तार किया गया।